न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर।

प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या–76/2023

कम्प्यूटर संख्या– 430/2023

कृष्णा कुमार प्रति राजन कुमार

दिनॉक–31.05.2023,

पत्रावली पेश हुई।

वाद पुकारा गया। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री मौ0 नावेद को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156 (3) दण्ड प्रकिया संहिता पर पूर्व में सुना जा चुका है। पत्रावली प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156 (3) दण्ड प्रकिया संहिता पर आदेश हेतु नियत है।

2. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि आशीर्वाद माक्रो फाईनेन्स लि0 काशीपुर कम्पनी विन्ध्यावासिनी कालौनी खड़कपुर काशीपुर में स्थित है तथा यह कम्पनी लोगों के उज्जवल भविष्य व अन्य योजनाओं के लिये ग्रुप लोन देती है तथा अपनी रकम किश्तें प्राप्त करती हैं। प्रार्थी इस कम्पनी काशीपुर में शाखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत है तथा कम्पनी से संबंधित समस्त जिम्मेदारियॉ प्रार्थी के उपर ही हैं। इस कम्पनी में अभियुक्त राजन कुमार पुत्र श्री रामकुंवर सिंह निवासी ग्राम सलैमपुर मौसाई, थाना धनौरा, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश जोकि फील्ड ऑफिस के पद पर वर्ष 2019 से कार्यरत था, जोकि फील्ड में जाकर लोगों को लोन पर दी धनराशि की रकम की किश्तें वसूल करता था। उक्त राजन लगभग 45 लोगों को दिये गये लोन 2,85,965/–रूपये किश्तों के रूप में कम्पनी के हक एकत्र किये, जिसमें राजन कुमार ने कम्पनी में मात्र 74,720/–रूपये ही जमा किये, शेष रकम 2,11,245/–रूपये की रकम कम्पनी में जमा नहीं की। उक्त राजन कुमार दिनॉक 21.12.2022 से कम्पनी में बिना किसी को सूचित किये व बिना कोई छुट्टी लिये कम्पनी में नहीं आया, जब कई दिन तक उक्त राजन कुमार कम्पनी नहीं आया, तब प्रार्थी ने उक्त राजन कुमार के मोबाईल नंबर 9927040920, 6398766158 पर सम्पर्क किया, तो बोला कि मैं जल्द ही कम्पनी में आ जाउंगा, किंतु उक्त राजन कई बार कम्पनी आने को कहकर भी आज तक कम्पनी वापस नहीं आया। उक्त राजन ने लोगों से कम्पनी द्वारा लोगों को दिये लोन की वसूली की तथा किश्तों के 2,11,245/–रूपये लेकर भाग गया है। उक्त राजन ने कम्पनी एवं कम्पनी हक में दिये गये रूपयों गबन कर लिये हैं तथा कम्पनी व उक्त लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। उक्त लोग कम्पनी में आकर बता रहे हैं कि हमने आपके कर्मचारी राजन कुमार को किश्तों की रकम दी है, किंतु उक्त राजन कुमार ने कम्पनी में कोई पैसा जमा नहीं किया है तथा अब वह प्रार्थी व किसी भी कम्पनी कर्मचारी का फोन भी रिसीव नहीं कर रहा है। उक्त राजन कुमार ने कम्पनी से धोखाधड़ी करते हुए अमानत में ख्यानत की है। प्रार्थी ने उक्त संबंध में थाना आई.टी.आई. में तहरीर दी, किंतु पुलिस आई.टी.आई. ने कोई कार्यवाही उक्त संबंध में नहीं की, तब प्रार्थी ने एक तहरीर दिनॉक 06.04.2023 को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की, किंतु उसके बाद भी आज तक पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। अतः प्रार्थना की गयी कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रकिया संहिता को स्वीकार

कर थानाध्यक्ष आई.टी.आई. को आदेशित करने की कृपा करें कि वह प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में दर्ज कर अन्वेषण करें।

3. प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में किये गये कथनों के समर्थन में श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय थाना आई.टी.आई. काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर को दिये गये प्रार्थना पत्र की छायाप्रति, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उधम सिंह नगर को दिये गये प्रार्थना पत्र की छायाप्रति, डाक रसीद, पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति, पैनकार्ड की फोटोप्रति, स्टेटमेंट की फोटोप्रति, आधार कार्ड की फोटोप्रति, श्रीमान शाखा प्रबंधक आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस काशीपुर ब्रांच को प्रार्थी अकबरी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र फोटोप्रति व अन्य प्रपत्र दाखिल किये गये।

4. थाना आई.टी.आई. से आख्या प्राप्त की गयी। थाने से प्राप्त आख्यानुसार थाना हाजा पर उपरोक्त संबंध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

5. प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया।

6. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी तथा अन्य लोगों को विपक्षी राजन कुमार पुत्र रामकुँवर द्वारा धोखा दिया गया है तथा कुल रूपये 2,85,965/–रूपये में से 74,720/–रूपये प्रार्थी कम्पनी में जमा कर शेष रूपये 2,11,245/–रूपये हड़प कर लिये हैं। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के अनुसार उसे विपक्षी का नाम पता ज्ञात है तथा अपराध का पूर्ण विवरण भी ज्ञात है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी को यह भी ज्ञात है कि विपक्षी द्वारा किन–किन व्यक्तियों से पैसे एकत्रित किये गये और कम्पनी में जमा नहीं किये गये। उपरोक्त अन्तर्विष्ट तथ्यों से यह स्पष्ट है कि कथित घ ाटना से संबंधित सभी तथ्य, साक्षियों के नाम आदि प्रार्थी के स्वयं के ज्ञान में चले आते हैं। ऐसे में पुलिस द्वारा अन्वेषण के माध्यम से कोई नया तथ्य आना दर्शित नहीं होता है। इस स्थिति में प्रस्तुत मामले में पुलिस द्वारा अन्वेषण कराये जाने की आवश्यकता दर्शित नहीं होती है। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा **गुलाब चन्द्र उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2002 इलाहाबाद जे.1225 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 156 (3) दण्ड प्रकिया संहिता के प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में भी दर्ज किया जा सकता है।** तद्नुसार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

प्रार्थी कृष्णा कुमार पुत्र श्री अमरजीत सिंह यादव का कथित घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज कराये जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। प्रार्थिनी के प्रार्थना पत्र को बतौर परिवाद दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। बतौर परिवाद दर्ज हो।

पत्रावली दिनॉक 09.06.2023 को साक्ष्य अंतर्गत धारा 200 दण्ड प्रकिया संहिता हेतु पेश हो।

VINIT KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by VINIT KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2023.05.31 17:16:19 +0530

(विनीत कुमार श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर,
जिला उधम सिंह नगर।